ग्राम पंचायत धर्मपुर, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत धर्मपुर, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती ज्योति देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री ज्ञान चंद	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत धर्मपुर के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	04.70

2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	37.92
3	8(क)	क्रय खनन सामग्री के समर्थन में निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा अधिशुल्क (रॉयल्टी) की कटौती न करने के कारण राजस्व हानि	0.58
4	8(ख)	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके राशि की वसूली न करना	0.01
5	09(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.41
6	09(घ)	क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना	11.49

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनः-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गयी, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर की गई कार्रवाई उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है ।:-

भाग- दो

2 **(क) वर्तमान अंकेक्षणः-**

ग्राम पंचायत धर्मपुर, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18-07-2024 से 26-07-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2022-23	**10/2022**	**06/2022**
2023-24	**07/2023**	**06/2023**

(ख) अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत धर्मपुर, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-423 दिनांक 26.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत धर्मपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) **स्व: स्त्रौत :-** ग्राम पंचायत धर्मपुर, के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्त्रौत की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	191316	303463	494779	176067	318712
2023-24	318712	372116	690828	115475	575353

(ii) **अन्य अनुदान :-** ग्राम पंचायत धर्मपुर, के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	5585012.68	2716410	8301422.68	3733103	4568319.68
2023-24	4568319.68	1616611	6184930.68	2392866	3792064.68

दिनांक 31.03.24 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **4367417.68**

दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank Name	**Account No.**	**Name of Head**	**Closing balance as on 31.03.2024 (₹)**
H.P State Cooperative Bank, Dharampur	30910112827	Own source & other grants	162948
H.P State cooperative bank,Dharampur	30910111491	14th FC	0
H.P State cooperative bank,Dharampur	30910112827	15TH FC	990613
H.P State cooperative bank,Dharampur	30910103803	Dev work	1847105.23
H.P Gramin Bank, Dharampur	87390100058104	Dev work	897008.45
		Total	**3897674.68**

बैंक समाधान विवरणी :-			
स्व: स्त्रोत :-			
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष		**575353**
अनुदान :-			
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष		**3792064.68**
स्व: स्त्रोत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष			4367417.68
	दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष		3897674.68
अन्तर की राशि			**-469743.00**

(iv) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)	वर्ष
2022-23	0	9823919.11	0	9823919.11	9823919.11	0
2023-24	0	13009949	0	13009949	13009949	0

4.1. रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹04.70 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹4,69,743** की राशि का अन्तर पाया गया। अत: मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये ।

05. (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना:-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत धर्मपुर के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा है । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹37.92 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत धर्मपुर द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.24 तक अनुदान ₹ 37,92,064.68 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा**

संख्या 4(ii) में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना:-

ग्राम पंचायत धर्मपुर द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. (क) पंचायत राजस्व गृह कर के सम्बंध में अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

पंचायत की स्व: स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया है । अतः दिनांक 01.04.22 से 31.03.24 तक वसूली योग्य राशि की गणना नहीं की जा सकी थी । सचिव ग्राम पंचायत धर्मपुर को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-408 दिनाँक 19.07.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि गृह कर मांग तथा संग्रह रजिस्टर का रख-रखाव जल्द ही किया जाएगा । अतः गृह कर मांग तथा संग्रह रजिस्टर का नियमानुसार अनुरक्षण करते हुए वसूली योग्य राशि की गणना करके वसूली करना सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यक अभिलेख का अनुरक्षण न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ख) दुकान किराए की वसूली रजिस्टर व अनुबंध तैयार न करने बारे :-

पंचायत की स्व: स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दुकान किराए की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया है और न ही अनुबंध पत्र तैयार किए गए है । अतः दिनांक 01.04.22 से 31.03.24 तक वसूली योग्य राशि की गणना नहीं की जा सकी थी । सचिव ग्राम पंचायत धर्मपुर को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-409 दिनांक

19.07.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि दुकान किराए की मांग तथा संग्रह रजिस्टर का रख-रखाव जल्द ही किया जाएगा व दुकान मालिकों से अनुबंध पत्र तैयार किया जाएगा । अतः दुकान किराए का मांग तथा संग्रह रजिस्टर का नियमानुसार अनुरक्षण करते हुए वसूली योग्य राशि की गणना करके वसूली करना सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यक अभिलेख का अनुरक्षण न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ग) भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राजस्व की अनुवर्ती हानि

प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या रेव-डी-एफ(II)-11/2010 दिनांक 29.11.2011 द्वारा भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार अधिसूचित किया गया:

(i) पटवारी अपने वृत्त के सभी राजस्व संपदा के ढाल बछ (Dhal bach) तैयार करेगा तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को सौंपेगा।

(ii) ग्राम पंचायत सचिव/सहायक लम्बरदार के माध्यम से या किसी एजेंसी के द्वारा जैसे भी उचित हो, पछोत्रा अदा करके भू-राजस्व की वसूली करवाना सुनिश्चित करेगा।

(iii) पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करेगा जोकि ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत धर्मपुर, विकास खण्ड धर्मपुर जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश में भू-राजस्व की जो राशी लम्बरदार द्वारा जमा करवाई जाती थी केवल उसे ही पंचायत की आय में जमा करवाया जाता था। भू-राजस्व की राशि प्रति वर्ष प्राप्त नहीं होती बल्कि दो या तीन वर्ष में एक बार ही प्राप्त की गई थी। जांच में आगे यह पाया गया कि प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा था। जबकि पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की बार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करने चाहिए थे जिससे की यह पता लगाया जाता की पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रहण के लिए बकाया था जिसकी मांग की वसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी एजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिश्चित की जा सके । अतः पंचायत सचिव द्वारा प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना द्वारा जारी आदेशों को अनुपालना नहीं की गई जिससे

पंचयत को अनुवर्ती नुक्सान भी हो रहा है तथा न ही सम्बंधित अभिलेख तैयार किये गए जिनकी लेखा परीक्षा के दौरान जांच जोकि जाति जो की नियमो के विरुद्ध था।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-413 दिनांक-20.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत धर्मपुर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। जिसे अब हि० प्र० सरकार की अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग व संग्रहण से संबन्धित अभिलेख संधारित लेखापरीक्षा को अवगत किया जाएगा।

7. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अंतगर्त विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत धर्मपुर, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल फ़र्निचर व हीटर ही दर्ज की गयी थी तथा उनमें भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नहीं थे। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमें दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 03 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है की पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया

जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन था जो की गम्भीर अनियमितता है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-414 दिनांक 20.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत धर्मपुर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल संपपतियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा ।

8. (क) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹ 0.58 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹ 57733 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (घ) में सलग्न है ।**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-418 दिनांक 23.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत धर्मपुर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख). स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.01 लाख की वसूली न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत धर्मपुर द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 1204 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण **निम्न प्रकार से है :-**

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	वाउचर संख्या	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)	कटौती की दर	राशि (₹)
सामान्य निधि							
1	सुरेश कुमार गाँव भरौरी डाकघर व तहसील धर्मपुर जिला मण्डी	482/21.11.22	xvfc/p/37 दिनांक 08.06.2023	जेसीबी कार्य	47600	1.00%	476
2	सुरेश कुमार गाँव भरौरी डाकघर व तहसील धर्मपुर जिला मण्डी	479/16.11.22	xvfc/p/38 दिनांक 08.06.2023	जेसीबी कार्य	47600	1.00%	476
3	सुरेश कुमार गाँव भरौरी डाकघर व तहसील धर्मपुर जिला मण्डी	474/11.11.22	xvfc/p/39 दिनांक 08.06.2023	जेसीबी कार्य	25200	1.00%	252
							1204

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-419 दिनांक-23.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत धर्मपुर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया

जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.41 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में ₹41039 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	6215 दिनांक 12.09.23	15 वां वित्त आयोग	राहुल एम्पोरियम धर्मपुर जिला मण्डी	सरिया	25334
2	0280 दिनांक 20.05.22	सामान्य निधि	नारायण आर्ट प्रिंटर प्राइवेट लिमिटेड	inauguration प्लेट	7080
3	56 दिनांक शून्य	सामान्य निधि	प्रेम टेंट हाउस	फ़र्निचर व अन्य	8625
	कुल				**41039**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-417 दिनांक 22.07.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत धर्मपुर के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित जांच की जानी सुनिश्चित करें एवं उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति

से नियमित करवाया जाए व भविष्य में सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना :-

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य सम्बन्धी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य सम्बन्धी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है। पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा। अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्विन मनरेगा के तहत उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा। अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत धर्मपुर, विकास खण्ड धर्मपुर जिला मण्डी (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए। उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजागार दिवसों का विवरण निम्नं तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजगार माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कार्य दिवस	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2022-23	944	98	846	766	558	558	31176	24	76600	45424
2023-24	635	233	402	787	547	547	31077	35	78700	47623

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया

गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमें से केवल आंशिक कार्य ही पुरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है कि मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वन के प्रति गम्भीर नहीं थे जोकि नियमो की अवहेलना ही नहीं बल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./ एस.ए.डी./2024-422 दिनांक 25.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत धर्मपुर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया की ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वयन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉब कार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य क्रियान्वित किये जाएँगे। भविष्य में जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(ग) भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और सम्बन्धित पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता।

ग्राम पंचायत धर्मपुर, विकास खण्ड धर्मपुर जिला मण्डी (हि०प्र०) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से

सम्बंधित वाउचरों/ बिलों को ग्राम पंचायत प्रधान और सम्बन्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही किया गया था। इसके अतिरिक्त मस्ट्रोल के तहत की गई अदायगी को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्ट्रोलों को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त नियमों के विरूद्ध था । अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्ट्रोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम के नियमो की स्पष्ट अवहेलना है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-420 दिनांक 24.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत धर्मपुर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। जिसे अब आपके दिशा-निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(घ) क्रय की गई सामग्री ₹11.49 लाख का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। अंकेक्षण के दौरान जॉच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी ₹1148900 की क्रय की गई सामग्री/मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (ङ)** में सलग्न है । वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-421 दिनांक 24.07.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत धर्मपुर के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि क्रय की गई निर्माण सामग्री का इन्द्राज भण्डार / स्टॉक रजिस्टर में करने के उपरान्त पुष्टि करवा ली जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । अतः वर्णित अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट

किया जाये तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि स्टॉक रजिस्टर का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. लघु आपति विवरणिका:-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13. निष्कर्ष:-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 19.9.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

का0/इति

4671-4675 19 SEP 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 123/2022 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत धर्मपुर, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 19.9.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

का0/इति

परिशिष्ट-"क", पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णित पैरो का सार

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण	
1	पैरा-3	**निर्णीत**	पैरा संख्या 3 के तहत अंकेक्षण अवधि अप्रैल 2020 से मार्च 2022 के अंतर्गत अंकेक्षण शुल्क 9000 बनता था,जिसे ड्राफ्ट संख्या 61574 दिनांक 19.07.2024 के माध्यम से विभाग में जमा करवा दिया गया है ।
2	पैरा-4.1	**निर्णीत**	पुनः प्रारूपित
3	पैरा-5	**निर्णीत**	पुनः प्रारूपित
4	पैरा-6	**निर्णीत**	ग्राम पंचायत द्वारा शेष विवाह पंजीकरण शुल्क को रसीद संख्या 318506 (₹8000) दिनांक 28.09.2023 व 318507 (₹400) दिनांक 20.07.2024 के तहत कुल ₹8400 वसूल कर पंचायत निधि में जमा करवा दिया गया है ।
5	पैरा-7	अनिर्णीत	
6	पैरा-8	**निर्णीत**	पुनः प्रारूपित
7	पैरा-9	अनिर्णीत	
8	पैरा-10	अनिर्णीत	
9	पैरा-11	अनिर्णीत	
10	पैरा-12	अनिर्णीत	
11	पैरा-13	अनिर्णीत	
12	पैरा-14	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	12
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	9
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे (-)	5
अवधि 01.04.20 से 31.03.2024 तक के अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	16

परिसंख्या - 4(1)
परिशिष्ठ (ख)

Financial position of own source of Gram Panchyat dharampur					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	191316	303463	494779	176067	318712
2023-24	318712	372116	690828	115475	575353

हस्ताक्षर Jyoti Devi
दिनांक

ग्राम पंचायत धर्मपुर
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

परिशिष्ठ-(ग)

(22)

'inancial position of all other grants in aid (including 15th fc) of Gram Panchyat dharampu

Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	5585012.68	2716410	8301422.68	3733103	4568319.68
2023-24	4568319.68	1616611	6184930.68	2392866	3792064.68

हस्ताक्षर
दिनांक

ग्राम पंचायत धरमपुर
विकास खण्ड धरमपुर
जिला चम्बा (हि०प्र०)

(19)

बैंक समाधान विवरणी :-		
स्व स्त्रौत :-		
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	**575353**
अनुदान :-		
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	**3792064.68**
स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष		4367417.68
	दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष	3897674.68
	अन्तर की राशि	**-469743.00**

पत्र संख्या – 8 (क)
परिशिष्ट (घ)

24

Detail of Royalty →

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल व वाउचर संख्या	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा (मिट्रीक टन)	रॉयल्टी (प्रति मिट्रीक टन)	राशि
	15th fc								
1	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-25 दिनांक 08.06.2023	रेत	10000	4.00	1.62	6.48	80	518
2	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-25 दिनांक 08.06.2023	बजरी	20000	8.00	1.52	12.16	80	973
3	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-26 दिनांक 08.06.2023	बजरी	30000	12.00	1.52	18.24	80	1459
4	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-27 दिनांक 08.06.2023	रेत	20000	8.00	1.62	12.96	80	1037
5	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-28 दिनांक 08.06.2023	रेत	20000	8.00	1.62	12.96	80	1037
6	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-28 दिनांक 08.06.2023	पत्थर	14000	7.00	2.24	15.68	80	1254
7	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-29 दिनांक 08.06.2023	बजरी	40000	16.00	1.52	24.32	80	1946
8	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-30 दिनांक 08.06.2023	रेत	10000	4.00	1.62	6.48	80	518
9	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-30 दिनांक 08.06.2023	बजरी	20000	8.00	1.52	12.16	80	973
10	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-31 दिनांक 08.06.2023	रेत	10000	4.00	1.62	6.48	80	518
11	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-31 दिनांक 08.06.2023	बजरी	20000	8.00	1.52	12.16	80	973
12	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-35 दिनांक 08.06.2023	रेत	10000	4.00	1.62	6.48	80	518
13	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-35 दिनांक 08.06.2023	बजरी	20000	8.00	1.52	12.16	80	973
14	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-36 दिनांक 08.06.2023	रेत	10000	4.00	1.62	6.48	80	518
15	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-36 दिनांक 08.06.2023	बजरी	10000	4.00	1.52	6.08	80	486
	मनरेगा								
16	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	165/10.01.23	रेत	5000	2.00	1.62	3.24	80	259
17	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	165/10.01.23	बजरी	9375	3.75	1.52	5.70	80	456
18	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	69/10.01.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375
19	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	69/10.01.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
20	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	125/10.01.23	रेत	25000	10.00	1.62	16.20	80	1296
21	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	125/10.01.23	बजरी	20000	8.00	1.52	12.16	80	973
22	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	128/10.01.23	बजरी	25000	10.00	1.52	15.20	80	1216
23	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	161/10.01.23	रेत	25000	10.00	1.62	16.20	80	1296
24	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	161/10.01.23	बजरी	20000	8.00	1.52	12.16	80	973
25	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	162/10.01.23	बजरी	20000	8.00	1.52	12.16	80	973
26	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	68/10.01.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375
27	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	68/10.01.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
28	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	70/10.01.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375
29	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	70/10.01.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
30	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	71/10.01.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375

25

31	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	71/10.01.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
32	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	73/10.01.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375
33	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	73/10.01.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
34	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	117/10.01.23	रेत	37950	15.18	1.62	24.59	80	1967
35	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	117/10.01.23	बजरी	10000	4.00	1.52	6.08	80	486
36	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	118/10.01.23	बजरी	47500	19.00	1.52	28.88	80	2310
37	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	119/10.01.23	बजरी	14350	5.74	1.52	8.72	80	698
38	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	75/10.01.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375
39	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	75/10.01.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
40	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	76/10.01.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375
41	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	76/10.01.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
42	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	77/10.01.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375
43	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	77/10.01.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
44	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	106/10.01.23	रेत	14400	5.76	1.62	9.33	80	746
45	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	106/10.01.23	बजरी	27300	10.92	1.52	16.60	80	1328
46	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	80/10.01.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375
47	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	80/10.01.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
48	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	82/10.01.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375
49	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	82/10.01.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
50	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	83/10.01.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375
51	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	83/10.01.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
52	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	84/10.01.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375
53	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	84/10.01.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
54	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	108/10.01.23	रेत	14400	5.76	1.62	9.33	80	746
55	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	108/10.01.23	बजरी	27300	10.92	1.52	16.60	80	1328
56	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	87/10.01.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375
57	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	87/10.01.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
58	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	88/10.01.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375
59	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	88/10.01.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
60	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	89/10.01.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375
61	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	89/10.01.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
62	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	90/10.01.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375
63	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	90/10.01.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
64	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	91/10.01.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375

Jyoti Devi

22

निर्माण खण्ड धर्मपुर
जिला मण्डी (हि०)

26

65	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	91/10.01.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
66	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	92/10.02.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375
67	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	92/10.02.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
68	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	93/10.03.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375
69	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	93/10.03.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
70	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	94/10.03.23	रेत	7225	2.89	1.62	4.68	80	375
71	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	94/10.03.23	बजरी	13675	5.47	1.52	8.31	80	665
72	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	115/10.01.23	रेत	16000	6.40	1.62	10.37	80	829
73	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	115/10.01.23	बजरी	30325	12.13	1.52	18.44	80	1475
74	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	127/10.01.23	रेत	26950	10.78	1.62	17.46	80	1397
75	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	127/10.01.23	बजरी	22500	9.00	1.52	13.68	80	1094
76	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	128/10.01.23	बजरी	28550	11.42	1.52	17.36	80	1389
									57733

ग्राम पंचायत ... विकास खण्ड ... जिला ... (हि०प्र०)

परिसंख्या - 9(ध)
Stock entry:- परिशिष्ट - (ड)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	शीर्ष	मद का नाम	मात्रा(cum)	भुगतान राशि
1	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-25 दिनांक 08.06.2023	15वां वित्त आयोग	रेत	4.00	10000
2	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-25 दिनांक 08.06.2023	15वां वित्त आयोग	बजरी	8.00	20000
3	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-26 दिनांक 08.06.2023	15वां वित्त आयोग	बजरी	12.00	30000
4	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-27 दिनांक 08.06.2023	15वां वित्त आयोग	रेत	8.00	20000
5	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-28 दिनांक 08.06.2023	15वां वित्त आयोग	रेत	8.00	20000
6	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-28 दिनांक 08.06.2023	15वां वित्त आयोग	पत्थर	7.00	14000
7	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-29 दिनांक 08.06.2023	15वां वित्त आयोग	बजरी	16.00	40000
8	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-30 दिनांक 08.06.2023	15वां वित्त आयोग	रेत	4.00	10000
9	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-30 दिनांक 08.06.2023	15वां वित्त आयोग	बजरी	8.00	20000
10	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-31 दिनांक 08.06.2023	15वां वित्त आयोग	रेत	4.00	10000
11	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-31 दिनांक 08.06.2023	15वां वित्त आयोग	बजरी	8.00	20000
12	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-35 दिनांक 08.06.2023	15वां वित्त आयोग	रेत	4.00	10000
13	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-35 दिनांक 08.06.2023	15वां वित्त आयोग	बजरी	8.00	20000
14	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-36 दिनांक 08.06.2023	15वां वित्त आयोग	रेत	4.00	10000
15	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	पी-36 दिनांक 08.06.2023	15वां वित्त आयोग	बजरी	4.00	10000
16	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	165/10.01.23	मनरेगा	रेत	2.00	5000
17	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	165/10.01.23	मनरेगा	बजरी	3.75	9375
18	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	69/10.01.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
19	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	69/10.01.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675

20	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	125/10.01.23	मनरेगा	रेत	10.00	25000
21	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	125/10.01.23	मनरेगा	बजरी	8.00	20000
22	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	128/10.01.23	मनरेगा	बजरी	10.00	25000
23	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	161/10.01.23	मनरेगा	रेत	10.00	25000
24	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	161/10.01.23	मनरेगा	बजरी	8.00	20000
25	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	162/10.01.23	मनरेगा	बजरी	8.00	20000
26	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	68/10.01.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
27	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	68/10.01.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675
28	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	70/10.01.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
29	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	70/10.01.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675
30	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	71/10.01.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
31	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	71/10.01.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675
32	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	73/10.01.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
33	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	73/10.01.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675
34	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	117/10.01.23	मनरेगा	रेत	15.18	37950
35	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	117/10.01.23	मनरेगा	बजरी	4.00	10000
36	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	118/10.01.23	मनरेगा	बजरी	19.00	47500
37	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	119/10.01.23	मनरेगा	बजरी	5.74	14350
38	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	75/10.01.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
39	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	75/10.01.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675

40	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	76/10.01.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
41	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	76/10.01.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675
42	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	77/10.01.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
43	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	77/10.01.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675
44	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	106/10.01.23	मनरेगा	रेत	5.76	14400
45	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	106/10.01.23	मनरेगा	बजरी	10.92	27300
46	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	80/10.01.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
47	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	80/10.01.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675
48	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	82/10.01.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
49	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	82/10.01.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675
50	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	83/10.01.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
51	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	83/10.01.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675
52	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	84/10.01.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
53	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	84/10.01.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675
54	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	108/10.01.23	मनरेगा	रेत	5.76	14400
55	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	108/10.01.23	मनरेगा	बजरी	10.92	27300
56	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	87/10.01.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
57	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	87/10.01.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675
58	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	88/10.01.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
59	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	88/10.01.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675

30

60	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	89/10.01.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
61	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	89/10.01.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675
62	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	90/10.01.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
63	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	90/10.01.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675
64	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	91/10.01.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
65	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	91/10.01.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675
66	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	92/10.02.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
67	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	92/10.02.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675
68	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	93/10.03.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
69	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	93/10.03.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675
70	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	94/10.03.23	मनरेगा	रेत	2.89	7225
71	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	94/10.03.23	मनरेगा	बजरी	5.47	13675
72	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	115/10.01.23	मनरेगा	रेत	6.40	16000
73	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	115/10.01.23	मनरेगा	बजरी	12.13	30325
74	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	127/10.01.23	मनरेगा	रेत	10.78	26950
75	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	127/10.01.23	मनरेगा	बजरी	9.00	22500
76	एम/एस सुरेश कुमार ठेकेदार व सप्लाईर	128/10.01.23	मनरेगा	बजरी	11.42	28550
						1148900

27

28